मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2013-श्रावण 18, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

सार्वजनिक सूचना-पत्र

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के तहत)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शगुन इन्टरनेशनल पता-प्लॉट नं. 8, पी.यू. 4, कमर्शियल स्कीम नं. 54, ए. बी. रोड, इंदौर भागीदारी फर्म से श्री अभय जैन पिता स्व. श्री छगनलालजी जैन एवं राखी बड़जात्या पति स्व. श्री संजय बड़जात्या ने फर्म से दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को निवृत्ति प्राप्त करली एवं शरद डोसी पिता श्री शांतिप्रिय डोसी एवं मंयक डोसी पिता श्री शरद डोसी फर्म में शेष साझेदार हैं.

एतद् अनुसार सूचित होवें.

For Shagun International
MAYANK DOSHI,
Partner.

(248-बी.)

सार्वजनिक सूचना-पत्र

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के तहत)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स डी. एस. इन्टरप्राइजेस पता-1, कनाड़िया रोड, इंदौर भागीदारी फर्म से श्रीमती स्निग्धा जैन पति स्व. श्री आशीष जैन, दिनांक 20 फरवरी, 2013 को फर्म से निवृत्ति प्राप्त करली है.

एतद् अनुसार सूचित होवें.

For D S Enterprises
ABHAY JAIN,
Partner.

(249-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. जय बजरंग स्टोन क्रेशर, ग्राम बॉस पहाडी, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) जो कि दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को गठित होकर पंजीयत हुई, जिसमें-सतपाल सिंह, रामस्वरूप यादव, अनिल कुमार त्रिपाठी भागीदार थे और दिनांक 31 मार्च, 2013 तक चली. इसके पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से लेकर आज दिनांक तक नई संशोधित फर्म में निम्नलिखित सतपाल सिंह, रामस्वरूप यादव, अनिल कुमार त्रिपाठी, रामकुमार सिंह, प्रतीक सिंह, सुरेन्द्र कुमार सिंह भागीदार हैं.

वास्ते- मै. जय बजरंग स्टोन क्रेशर
अनिल कुमार त्रिपाठी,
पार्टनर.

(252-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. धनपाल पीताम्बरलाल पाटनी, सिवनी रोड, छिन्दवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 269/1969-70, दिनांक 3 जून, 1969 को भागीदारी संरचना में परिवर्तन हुआ है, जिसके अनुसार भागीदार श्री ललित कुमार पाटनी का स्वर्गवास दिनांक 19 अगस्त, 2011 को हो गया है, इससे वे फर्म के भागीदार से अलग हो गए हैं. तत्पश्चात् उनके पुत्र एवं विधिक उत्तराधिकारी श्रेय पाटनी द्वारा फर्म की भागीदारी में शामिल होने की इच्छा जाहिर किए जाने से दिनांक 20 अगस्त, 2011 से शामिल किया गया है. सम्बन्धित सभी नोट करें.

अरूण कुमार पाटनी,
भागीदार.

(253-बी.)

सार्वजनिक सूचना

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की 2 × 250 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत विस्तार इकाईयों से विद्युत निकासी के लिये 400 के. व्ही. सतपुड़ा आष्टा डी.सी.डी.एस. पारेषण लाईन का निर्माण सरकारी तथा निजी भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत डिजाईन, बिल्ड, फायनेंस, आपरेट एवं ट्रांसफर (डी.बी.एफ.ओ.टी.) मॉडल के माध्यम द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है. इसी प्रयास में म. प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-63 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से उपरोक्त परियोजना क्रियान्वयन हेतु मैसर्स कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, गांधी नगर को सौंपी है एवं दिनांक 06 जून, 2013 को तत्संबंध में मैसर्स **कल्पतरू सतपुड़ा ट्रांसको प्रायवेट लिमिटेड, गांधी नगर** (कन्सेशनायर) के साथ एक अनुबंध निष्पादित किया है. तत्पश्चात् मैसर्स **कल्पतरू सतपुड़ा ट्रांसको प्रायवेट लिमिटेड** द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-14 के अंतर्गत पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक आवेदन किया गया है. मध्यप्रदेश शासन के उर्जा विभाग ने अपने आदेश दिनांक 29 जुलाई, 2013 के तहत विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-68 के अंतर्गत उक्त पारेषण लाईन के निर्माण हेतु आवश्यक नियमों एवं शर्तों के साथ अनुमोदन प्रदान किया है.

मैसर्स कल्पतरू सतपुड़ा ट्रांसको प्रायवेट लिमिटेड, गांधी नगर ने जिसका पंजीकृत कार्यालय 101, पार्ट-III, जी. आई. डी. सी. एस्टेट, सेक्टर 28, गांधी नगर-382028 (गुजरात) पर स्थित है, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-164 के अंतर्गत प्रदत्त समस्त शक्तियों के अनुसार बिजली के संचार के लिये विद्युत लाइन व विद्युतगृह लगाने व कार्यों के उचित तालमेल के लिये आवश्यक दूरभाष व तार संचार के लिये जो कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत तार अधिकारी के पास है, सरकार द्वारा स्थापित एवं देखरेख के प्रयोजन हेतु लाईन एवं खम्बे लगाने तथा रखरखाव और सर्वे, निर्माण, संस्थापन, निरीक्षण, उत्थापन और उसके पश्चात् कार्य आरम्भ संचालन, संधारण तथा निम्नलिखित पारेषण योजना हेतु अन्य कार्यों के लिये आवेदन करने की इच्छुक हैं.

1. योजना/परियोजना का नाम :—सरकारी तथा निजी भागीदारी (पी पी पी) प्रणाली के अंतर्गत डिजाईन, बिल्ड, फायनेंस, ऑपरेट एवं ट्रांसफर (डी.बी.एफ.ओ.टी.) मॉडल के माध्यम से 400 के.व्ही. डीसीडीएस सतपुड़ा-आष्टा पारेषण लाईन परियोजना का निर्माण.

2. योजना/परियोजना के अंतर्गत आवरित कार्य :—मध्यप्रदेश में सारणी-जिला बैतूल में स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत गृह से मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड के 400 किलो वोल्ट विद्युत उपकेन्द्र आष्टा (जिला सीहोर) तक 400 किलो वोल्ट डी.सी.डी.एस. (ट्विन मूस एसीएसआर कन्डक्टर) पारेषण लाइन का निर्माण तथा संचालन एवं संधारण. प्रस्तावित पारेषण लाईन की अनुमानित लंबाई लगभग 240 किलोमीटर है.

3. योजना के अंतर्गत आवरित पारेषण लाइन निम्नलिखित ग्रामों, शहरों एवं नगरों से होते हुए, ऊपर से, आस पास से एवं उनके मध्य से होकर गुजरेगी :—

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4
1.	सारणी, पट्टाखेरा, मोरडोंगरी, विक्रमपुर, रायवारी, सेमरताल, जाजलपुर कोलगांव, सलैया, फाफस, सुखधाना चोरपंडरी, चोरपंडा, पंडरा, हरराधाना, घोराडोंगरी रातामाटी, बासपुर.	घोराडोंगरी	बैतूल
	भयवारी, गोनपुर, देहरीपाथर, शाहपुर सिल्पपति, सोहागपुरधाना, कोटमी, कोड़िखेरा, बांका, कामथी, कुंडीधाना, गुरगुंडा, गोवदी, पोला पाथर, बोदीपानी, हिम्मतधाना, सेलीमेट, चिरमाटेकरी, कोयलबुद्धि चिकलदा, कच्छर, जोदियामउ, कोछामउ, खापा, झपरी, कालापानी.	,,	

1	2	3	4
2.	दांडी वाडा, खोरा, चांडिकिया, बहरपुरा, सतपुड़ा, चिचवानी, चितपुरा बुरधा, सरादेह, पिपरिया, बोरखेरा.	इटारसी	होशंगाबाद
	नया गांव (जंगल गांव) पिपलगोटा (जंगलगांव)	बनापुरा रेंज	,,
	केवलधीर, नर्री, गोतावाडी नगझिर, मालापट, खेरा नांदरवाडा, खाल, सिफॉन, भामेरी, झरबिरा, नाहरकोला, पोलाय, आमपुरा, पीपलथोन, बिलधी, बारखेडी, खरार, बावरियाबापू, सिवनी मालवा, भरले, भैरोपुर, निपनिया, खटखट झाकले, थुआ, म्यांगांव, कुरमकुई, छपराग्रहण, गुरैया, शिवपुर, भैंसादेह चांदपुरा, भिलरिया कुंद, रिच्ची, हमीदपुर अछनागांव, लच्छगांव, ग्वारी उमरिया, पपन, रामगढ़.	सिवनी मालवा	,,
3.	मांधी, सीलकंठ, नंदकोट, नीमाखेरी, पट्रोलाखल, कौरसाखेरी, सातदाव टिगली, सोहनखेरी, सिसली, धोलपुर, छिप्पीपानेर, नारायणपुरा, भगवाडा, बाबछा.	नसरुल्लांगज	सीहोर
	श्रामपुरा कलां, गोकुलपुर, पिपलिया, खाकाखेरी, भाराखेरी, सोंगाखेरी लसुडिया, बाबछा, नोवागांव, खाचरौद, नौगांव, कन्नौदमिर्जी, मोरखेरी, बोरखेरा, ध्यानखेरी, रिच्छीदिया, भगवानपुर, खेमपुरा, नानकपुर, अरोलिया, ताजपुरा, छनछसनी, मालीपुरा, गोपालपुरा, भामुरा, डबरी, मरदाखेरी, काजीखेरी, धनरा, हकीमाबाद, आष्टा जीएसएस.	आष्टा	सीहोर
4.	बमनगांव, कोलारी, खिरकिया, खरदा, रिगगांव, डिबगांव, बेलखान, पंडागांव, कंकरिया, भुखिया, जेतपुर, टिवडिया, सन्नोद, बदनावर, रिच्छी, भवरास, सोमगांव, धनवारी.	खातेगांव	देवास
	सुकरास, सेरगोना, पिपलादा, कन्नौद, जंजालखेरी, सोनखेरी, देवसिरालिया सिराल्या, अदान्या, आमखेरी, किंतिया, जमुनियाखेरी, जकता, थूरिया, अमलीखेडा.	कन्नौद	,,

पथ सरेखन (रूट एलाइनमेन्ट) की प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है. आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित पारेषण योजना पर अवलोकन/प्रतिनिधित्व इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से दो माह के अंदर 05 अक्टूबर, 2013 के पहले अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करें, अन्य विवरणों तथा स्पष्टीकरणों के लिये यहां सम्पर्क किया जा सकता है.

नाम : **महेश बियानी,** पदनाम : अधिकृत प्रतिनिधि
कार्यालय का पता : 101, पार्ट III जी.आई.डी.सी. एस्टेट, सेक्टर 28,
गांधी नगर-382028 (गुजरात).
ई-मेल पता : maheshbiyani@kalpatarupower.com
फोन नं. +91 792314317/7923214172
फैक्स नं. +91793214275

(260-बी.)

Public Notice

Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited (MPPTCL), Jabalpur has decided to construct a 400 kV DCDS Satpura-Ashta Transmission Line for evacuation of power from 2X250 MW extension units at Satpura Thermal Power House through Public Private Partnership (PPP) mode under Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) model (**"Project"**). In this endeavour, MPPTCL awarded the Project to M/s Kalpataru Power Transmission Limited through a Competitive Bidding Process under Section 63 of the Electricity Act, 2003 and has executed a Transmission Agreement with M/s Kalpataru SatpuraTransco Private

Limited, Gandhinagar (**"Concessionaire"**) on 06th June, 2013. Subsequently, the Concessionaire has submitted an application before the Hon'ble Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission for grant of Transmission License under section l4 of the Electricity Act. Department of Energy, Government of Madhya Pradesh, vide Order dated **29th July, 2013** has accorded approval under Section 68 of the Electricity Act-2003, for laying/ construction of aforementioned 400kV overhead Line subject to applicable terms and conditions.

M/s Kalpataru Satpura Transco Private Limited having its registered office at 101, Part III, GIDC Estate, Sector - 28, Gandhinagar - 382 028 (Gujarat) intends to apply to the Government of Madhya Pradesh to confer upon it all the power under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for the placing of electric lines or electrical plant for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for the proper coordination of works which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained and will undertake the survey, construction, installation, inspection, erection and other works to be followed by commissioning, operation, maintenance and other works for the following transmission scheme:

1. Name of the Scheme/Project:–400 kV DCDS Satpura-Ashta Transmission Line Project through Public Private Partnership (PPP) mode under Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) model.

2. Works Covered under the Scheme/Project:–400 kV DCDS Transmission Line (on twin Moose ACSR conductor) from Satpura Thermal Power Station at Sarni (District Betul) to 400 kV Substation of MPPTCL at Ashta (District Sehore) in Madhya Pradesh.

Approximate Route Length of line is 240 Km.

3. The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities :—

S. No.	Villages	Tehsil	District
1	2	3	4
1.	Sarni, Pattakhera, Moredungri, Bikrampur, Rayawari, Semartal, Jajalpur, Kolgoan, Salaiya, Phophas, Sukhadhana, Choredangri, Chorpandra, Pandra, Harradhana, Ghoradongri, Ratamati, Baspur.	Ghoradongri	Betul
	Bhayawari, Gonapur, Dehripathar,Silpati, Sohagpurdhana, Kotmi, Kodrikhera, Banka, Kamthi, Kundidhana, Gurgunda, Gowadi, Polapathar, Bodipani, Himmatdhana, Salimet, Chirmatekari, Koyalbuddhi,Chikalda, Kachhar, Jodiyamau, Kochamau, Khapa, Jhapri, Kalapani.	Shahapur	,,
2.	Dandiwara, Khora, Chandkiya, Baharapura, Satpura, Chichwani, Chhitapura, Bordha, Saradeh, Pipariya, Borkhera.	Itarsi	Hoshangabad
	Nayagaon (forest vill.), Pipalgota (forest vill.)	Banapura	,,
	Kevlaghir, Narri, Gotabari, Nagjhir, Malapat, Khera, Nandarwara, Khal, Siphon, Bhameri, Jharbira, Naharkola, Polay, Aampura, Pipalthon, Bildhi, Barkheri, Kharar, Bawariya Bapu, Seonimalwa, Bharlay, Bhairopur, Nipaniya, Khatkhat, Jhaklay, Thuha, Myungoan, Kusmkui, Chapragrahan, Gurariya, Shivpur, Bhainsadeh, Chandpura, Bhilariya, Kund, Richhi, Hamidpur, Achnagoan, Luchhgaon, Gwari Umariya, Papan, Ramgarh.	Seonimalwa	,,

1	2	3	4
3.	Mandhi, Sealkanth, Nandkot, Neemakheri, Patrolakhal, Coursakheri, Satdav, Tigli, Sohankheri, Sisli, Dholpur, Chhipaner, Narayanpura, Bhagwara, Babcha.	Nasrullaganj	Sehore
	Rampura Kala, Gokulpur, Pipaliya, Khakakheri, Marakheri, Songakheri, Lasudiya, Babcha, Novagoan, Khachrod, Naugaon, Kannod Mirji, Morkheri, Borekhera, Dhyankheri, Richhidiya, Bhagwanpur, Khempura, Nanakpur, Aroliya, Tajpura, Chanchasani, Malipura, Gopalpura, Bhamura, Dabri, Mardakheri, Kazikheri, Dhanara, Hakimabad, Ashta GSS.	Ashta	,,
4.	Bamangoan, Kolari, Khirkiya, kharda, Rig Goan, Dibgoan, Belkhan, Pandagoan, Kankariya, Bhukiya, Jatpur, Tiwadiya, Sannod, Badnawar, Richhi, Bhawras, Somegoan, Dhanwari.	Khategaon	Dewas
	Sukras, Sergona, Piplada, Kannod, Janjalkheri, Sonkheri, Debsiraliya, Siralya, Adanya, Aamkheri, Kitiya, Jamuniyakheri, Jakta, Thuriya, Amlikheda.	Kannod	,,

4. Copy of the route alignment is available in the office of the undersigned. Notice is hereby given to the general public to make observation/representation on the proposed transmission system within two months from the date of publication of this notice before 05th October, 2013 to the office of the undersigned in writing. For further particulars and clarifications please contact :

Name: **Mahesh Biyani**
Designation: Authorised Representative
Office Address: 101, Part III, GIDC Estate, Sector-28,
Gandhinagar - 382 028 (Gujarat)
E-mail Address : maheshbiyani@kalpatarupower.com
Phone : +91 792321 4317 / +91 79 2321 4172
Fax No : +91 79 2321 4275.

(260-A-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, मीनाक्षी दवे ने अपना नाम परिवर्तन कर मीना दवे कर लिया है. अब मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :
(मीनाक्षी दवे)

नया नाम :
(मीना दवे)
68, शंकरबाग कॉलोनी,
मरीमाता चौराहा, इन्दौर (म.प्र.).

(250-बी.)

CHANGE IN NAME

I, Vimla Khubani, here by declare that I have change my name as Manisha Khubani W/o Ashok Khubani. So from now and in future. I will be known by my new name.

Old Name :
(विमला खुबानी)
(VIMLA KHUBANI)

New Name :
(मनीषा खुबानी)
(MANISHA KHUBANI)
W/o Ashok Khubani,
Add. 180/2, Bairathi Colony,
Indore (M.P.).

(251-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में डॉ. रमाशंकर द्विवेदी है. अब मैं अपने नाम के साथ डॉ. रमाशंकर द्विवेदी के साथ-साथ विवेक द्विवेदी लिखवाना चाहता हूँ.

अत: शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में नाम डॉ. रमाशंकर द्विवेदी उर्फ विवेक द्विवेदी लिखा एवं पढ़ा जाए.

पुराना नाम :
(डॉ. रमाशंकर द्विवेदी)

नया नाम :
(डॉ. रमाशंकर द्विवेदी उर्फ विवेक द्विवेदी)

(246-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम सिमरन नेनवानी था, लेकिन मैं अपना नया नाम सिमरन के स्थान पर शशांक नेनवानी लिखना चाहता हूँ अत: अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(सिमरन नेनवानी)

नया नाम :
(शशांक नेनवानी)
पता-78, लाला लाजपतराय कॉलोनी,
नियर राधाकृष्ण मंदिर, भोपाल.

(247-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम बल्देव राम चिम्नानी है किन्तु मेरे पुत्रों के डॉक्यूमेंट्स में मेरा घरेलू नाम कहीं पर रामबाबू चिम्नानी उर्फ रामबाबू सिंधीं उर्फ रामबाबू लिखा हुआ है. अत: मुझे सभी जगह मेरे सभी पुत्रों धीरज चिम्नानी, नरेन्द्र चिम्नानी एवं सुरेन्द्र चिम्नानी के सभी डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम बल्देव राम चिम्नानी ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(रामबाबू)

नया नाम :
(बल्देव राम चिम्नानी)
बैजनाथ वकील वाली गली,
मुरैना (म.प्र.).

(256-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम नरेन्द्र सिंधीं था जिसमें मैंने अपना उपनाम बदलकर नरेन्द्र कुमार चिम्नानी कर लिया है. अत: अब मुझे मेरे नए नाम नरेन्द्र कुमार चिम्नानी से लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(नरेन्द्र सिंधीं)

नया नाम :
(नरेन्द्र कुमार चिम्नानी)
बैजनाथ वकील वाली गली,
मुरैना (म.प्र.).

(254-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम सुरेन्द्र सिंधीं था जिसमें मैंने अपना उपनाम बदलकर सुरेन्द्र चिम्नानी कर लिया है. अत: अब मुझे मेरे नए नाम सुरेन्द्र चिम्नानी से लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(सुरेन्द्र सिंधीं)

नया नाम :
(सुरेन्द्र चिम्नानी)
बैजनाथ वकील वाली गली,
मुरैना (म.प्र.).

(255-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Tajender Kaur. W/o Saud Khan, residing at H. No. 10, Sahara Parisar, Idgah Hills, Bhopal, M.P. I have changed my name to Shazli Khan. Henceforth I has to be called and known as Shazli Khan.

Old Name :
(Tajender Kaur)

New Name :
(Shazli Khan.)

(257-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, मीतेश जैन पिता महेन्द्र जैन, उम्र 24 वर्ष, निवासी मकान नंबर 54, संजय गाँधी वार्ड क्रमांक 03, नगर पालिका, कोतमा, जिला अनूपपुर (म. प्र.) शपथपूर्वक कथन करता हूं कि स्कूल के प्रमाण-पत्र में मेरा नाम मीतेश कुमार जैन तथा स्नातक के प्रमाण-पत्र में मेरा नाम मीतेश जैन है. दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, जिसे अब मीतेश जैन के नाम से ही जाना जाये.

पुराना नाम :
(मीतेश कुमार जैन)

नया नाम :
(मीतेश जैन)
कोतमा, अनूपपुर (म.प्र.).

(258-B.)

CHANGE OF NAME

I, Zeeshan Aamir Ghauri S/o Shri Irfan Ahmad Ghauri, Age 27 years, Residing at B-62, Govindpuri, Gwalior affirms and state as Follows:—

1.That in all my educational documents i.e. Marksheets etc. my name is written as Zeeshan Aamir S/o Shri Irfan Ahmad Ghauri, but my surname Ghauri is not written.

2.That Zeeshan Aamir Ghauri and Zeeshan Aamir are my names. I am also known and called by both the names.

Old Name :
(ZEESHAN AAMIR)

New Name :
(ZEESHAN AAMIR GHAURI)
S/o Shri Irfan Ahmad Ghauri,
B-62, Govindpuri, Gwalior (M.P.)

(259-B.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई, 2013

अल्प अवधि निविदा सूचना

क्र.जी.बी. चार/मशी. (3) 2013-14/2583.—निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से मुहरबंद तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदाएं हार्डकापी (पृथक्-पृथक् लिफाफों में) एवं **ऑनलाईन निविदा,** केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल एवं शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा हेतु सिंगल कलर शीटफेड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, फोर कलर शीटफेड ऑफसेट मशीन, फोर कलर वेब ऑफसेट मशीन विथ फोल्डर एवं शीटर, वेब ऑफसेट मशीन, परफेक्ट बाईण्डर एवं गेदरिंग मशीन एवं अन्य सहायक उपकरण के साथ के लिये आमंत्रित की जाती है.

2. टेण्डर फॉर्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट **www.tenders.gov.in, www.govtpressmp.nic. in** पर रखा गया है एवं ऑनलाईन निविदा **https: //mpeprocurement.com** पर रखा गया है.

3. टेण्डर फॉर्म की हार्डकापी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय दिनांक **19 अगस्त, 2013** को कार्यालयीन समय अपराह्न **1.00 बजे** तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जानी होगी. निविदा की टेक्निकल टेण्डर उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक **19 अगस्त, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे** ऑनलाईन टेण्डर स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

2-2
(390)

Bhopal, dated 24th July, 2013

SHORT TENDER NOTICE

No. GB-IV/Machinery/ (3)/ 2013-14/2583.—ONLINE and Sealed Technical & Commercial (seperately) tenders are invited from the manufacturers or their Agents/Authorised Dealers for the supply of **Sheetfed Offset printing Machine Single Colour, Four Colour Sheetfed Offset Machine, Web Offset Printing Machine Four Colour Perefector Unit with Folder and Sheeter, Web Offset Printing Machine** with web width 610 M.M. (Max) and cut of Sixe 430 M.M., Multi Colour Perfect Binder with 6 Book Clamps, Gathering Machine with 12 stations & Double Head Stitching **and All Accessories for the** Govt. Central Press, Bhopal, Govt. Regional Press, Gwalior, Indore and Rewa.

2. Tender Document and agreement details of tender are available at website **www.tenders.gov.in, www.govtpressmp.nic.in** *and for Online Bidding go through* **https: //mpeprocurement.com.**

3. In all respects complete tender document must received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on **19th August, 2013** and the Envelope 'A' of technical tender of Hard Copy and Envelope 'B' of Commercial Tender of Hard Copy and other Key Dates are mentioned as per Key Dates List.

AJIT KESARI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

2-2
(390-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, डबरा, जिला ग्वालियर

डबरा, दिनांक 27 जून, 2013

प्र. क्र. /2012-13/बी-113 (1).

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

आवेदकगण श्री टुण्डाराम कुशवाह पुत्र रतनलाल कुशवाह, निवासी ग्राम सांखनी द्वारा "ओम नमः शिवाय धर्मार्थ न्यास समिति" का पंजीयन कराने हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-4 के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास सम्बन्धी कोई न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव रखने वाले इस सूचना के तीस दिवस के अन्दर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और मेरे न्यायालय में मेरे समक्ष नियत अवधि के अन्दर या तो स्वयं या अभिभावक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता	..	ओम नमः शिवाय धर्मार्थ न्यास समिति, डबरा, जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
सम्पत्ति का विवरण	..	चल एवं अचल सम्पत्ति निरंक.

अनुराग चौधरी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(392)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्री माहेश्वरी बापूलाल सुन्दरबाई गिलड़ा चेरिटेबल ट्रस्ट, कार्यालय 313, एडी, स्कीम नं. 74-सी, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री राधेश्याम पिता स्व. बापूलाल माहेश्वरी, निवासी 313-एडी, स्कीम नं. 74-सी, इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं अन्य 2 द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री माहेश्वरी बापूलाल सुन्दरबाई गिलड़ा चेरिटेबल ट्रस्ट.
पता	:	313, एडी, स्कीम नं. 74-सी, इन्दौर, म. प्र.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 10, 000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र).

आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(393)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, शिवपुरी

दिनांक 14 जून, 2013

प्र. क्र. 2/2012-13/बी-113.

(देखें नियम)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के तहत]

चूंकि राष्ट्रीय चेतना प्रसारण न्यास, केशवधाम राघवेन्द्र नगर, शिवपुरी, मध्यप्रदेश की ओर से आवेदकगण श्री राजेश भार्गव, सचिव, शिवपुरी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन पेश किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 14 जून, 2013 को विचार में लिया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित में रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों तो लिखित में 2-2 प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं.

उपरोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	:	राष्ट्रीय चेतना प्रसारण न्यास, केशवधाम राघवेन्द्र नगर, शिवपुरी (मध्यप्रदेश).
व पता		केशवधाम कार्यालय, राघवेन्द्र नगर, शिवपुरी (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम शिवपुरी टुकड़ा नम्बर-2, के सर्वे नम्बर 784 मिन, रकबा 0.160 हे. में भवन स्थित.
चल सम्पत्ति	:	संलग्न सूची अनुसार.

सूची

क्र.	नाम साम्रगी	संख्या
1	2	3
1.	गैस सिलेण्डर	02
2.	गैस चूल्हा	01
3.	केन्टीन भट्टी	01

1	2	3
4.	चाय कन्टेनर	01
5.	परात बड़ी	02
6.	थाल	01
7.	स्टील ट्रे बड़ी	01
8.	तस्सल	03
9.	कुकर	01
10.	कढाई	02
11.	थाली	24
12.	गिलास	50
13.	चाय मग	20
14.	कटोरी चम्मच	30
15.	भगोनी	02
16.	बर्तन स्टेण्ड	01
17.	बर्तन डलिया	01
18.	स्टील टंकी	01
19.	सिन्टेक्स टंकी बड़ी वाली	03
20.	डिस्प्ले बोर्ड बड़ा	01
21.	बोक्स टेबिल	05
22.	स्टडी टेबिल ड्रोज वाली	03
23.	दीवान, पलंग लोहे का	01
24.	दीवान, पलंग लकड़ी का	01
25.	डिस्प्ले बोर्ड छोटे	02
26.	पत्र-पत्रिका स्टेण्ड	01
27.	तखत	03
28.	लकड़ी की अलमारी बड़ी	01
29.	लोहे की अलमारी बड़ी	03
30.	जूता चप्पल स्टेण्ड	01
31.	गद्दी की कुर्सी	04
32.	टेबिल	01
33.	कुर्सी प्लास्टिक	10+2
34.	केविनेट बॉक्स	01
35.	मशीन प्लेअर आहूजा	01
36.	सी. डी. प्लेअर स्पीकर सहित	01
37.	माइक स्टेण्ड	01

1	2	3
38.	माइक (माउथपीस)	01
39.	लकड़ी की कुर्सी	01
40.	लकड़ी बॉक्स	01
41.	मंदिर पत्थर का सफेद	01
42.	कूलर	02
43.	सीलिंग फेन	21+2
44.	ट्यूबलाईट	09
45.	सी. एफ. एल. बड़ी	01
46.	सी. एफ. एल. छोटी	16
47.	गद्दे	20
48.	रजाई	12
49.	लोड	06
50.	तकिया	08

डी. के. जैन,

(394) रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

सिंध कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./171, दिनांक 09 मार्च, 1990 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री के. एस. तौमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक .....निल के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/162, दिनांक 06 फरवरी, 2013 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक ..... में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 07 मार्च, 2013 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंध कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,

ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह कारण आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(395)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

बालाजी महिमा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./327, दिनांक 22 जनवरी, 2003 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री के. एस. तौमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक .....निल के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/161, दिनांक 06 फरवरी, 2013 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक ..... में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 07 मार्च, 2013 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालाजी महिमा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय दुबे, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह कारण आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(395-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

नैनो रैग्जीन सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./363, दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री के. एस. तौमर, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.

6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/161, दिनांक 06 फरवरी, 2013 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक ..... में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 07 मार्च, 2013 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नैनो रैग्जीन सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह कारण आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(395-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

न्यू विकलांग कल्याण यूनियन प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./871, दिनांक 27 नवम्बर, 1997 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री के. एस. तोमर, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/163, दिनांक 06 फरवरी, 2013 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक ..... में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 07 मार्च, 2013 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यू विकलांग कल्याण यूनियन प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आनन्द मांझी, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह कारण आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(395-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

उत्कर्ष स्वास्थ्य सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./407, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री के. एस. तौमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की

कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/165, दिनांक 06 मार्च, 2013 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक ..... में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 07 मार्च, 2013 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्कर्ष स्वास्थ्य सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय आहूजा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह कारण आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. वाजपेई,
उप-पंजीयक.

(395-D)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सुगर मिल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	68/15-03-1977	1476/26-07-2012
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सूखापठा ग्वालियर	539/31-03-1990	1486/26-07-2012
3.	सतनाम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., डबरा, ग्वालियर.	635/19-05-1946	1484/26-07-2012
4.	डबरा कामगार एवं कारीगरों की संस्था मर्या., डबरा, ग्वालियर.	50/26-06-1960	1483/26-07-2012
5.	आदिवासी शिल्पकार सहकारी संस्था मर्या., जौरासी , ग्वालियर.	473/04-05-1987	1482/26-07-2012
6.	जय बमरौली हनुमान खनिज सहकारी संस्था मर्या., चॉदपुर ग्वालियर.	565/08-09-1991	1481/26-07-2012
7.	हर्षी कृषक सहकारी संघ मर्या., डबरा, ग्वालियर.	5239/10-08-1949	1480/26-07-2012
8.	डबरा कन्जूमर को-ऑपरेटिव स्टोर डबरा, ग्वालियर.	155/10-04-1962	1479/26-07-2012
9.	शीतला सामूहिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., जौरासी, ग्वालियर.	259/15-01-1969	1478/26-07-2012
10.	नव जीवन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., पिछोर, ग्वालियर.	639/24-04-1992	1477/26-07-2012
11.	मणिधारी दादा जैन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	308/18-07-2000	576/27-03-2012

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

भूपेन्द्र पाल सिंह,

(396) सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4569, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./101, दिनांक 12 फरवरी, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./101, दिनांक 12 फरवरी, 2009 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्र./परि./2012/1007, दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अजापुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./881, दिनांक 06 अप्रैल, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. गांगिल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अजापुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./881, दिनांक 06 अप्रैल, 1989 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्र./परि./2012/1007, दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 से महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बागरौद, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./50, दिनांक 06 जुलाई, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. गांगिल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बागरौद, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./50, दिनांक 06 जुलाई, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्र./परि./2012/1007, दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 से महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धामनी, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./49, दिनांक 05 जुलाई, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. गांगिल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धामनी, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./49, दिनांक 05 जुलाई, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्र./परि./2012/1007, दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 से महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., फरारा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./48, दिनांक 05 जुलाई, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. गांगिल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त

(अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., फरारा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./48, दिनांक 05 जुलाई, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्र./परि./2012/1007, दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 से मधुमक्खी पालन सहकारी संस्था मर्या., जानपुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./59, दिनांक 07 मई, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. गांगिल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन सहकारी संस्था मर्या., जानपुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./59, दिनांक 07 मई, 2005 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-W)

श्योपुर, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/984.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाण्डोला, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./661, दिनांक 20 मार्च, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गंगाराम गुप्ता, व. स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाण्डोला, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./661, दिनांक 20 मार्च, 1987 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375)

श्योपुर, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/985.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुलसेफ, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./936, दिनांक 30 मार्च, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गंगाराम गुप्ता, व. स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुलसेफ, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./936, दिनांक 30 मार्च, 1991 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-A)

श्योपुर, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/986—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलावडा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./937, दिनांक 30 मार्च, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गंगाराम गुप्ता, व. स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलावडा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./937, दिनांक 30 मार्च, 1991 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-B)

श्योपुर, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/987.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आवदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1012, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गंगाराम गुप्ता, व. स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आवदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1012, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-C)

श्योपुर, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/988.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फिलोजपुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./660, दिनांक 20 मार्च, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गंगाराम गुप्ता, व. स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फिलोजपुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./660, दिनांक 20 मार्च, 1987 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-D)

श्योपुर, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/989.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पच्चीपुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1013, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गंगाराम गुप्ता, व. स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पच्चीपुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1013, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-E)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1092.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बासोद, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1007, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बासोद, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1007, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-F)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1093.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./704, दिनांक 07 नवम्बर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./704, दिनांक 07 नवम्बर, 1987 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-G)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1094.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ललितपुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./729, दिनांक 11 मार्च, 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं

अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ललितपुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./729, दिनांक 11 मार्च, 1988 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-H)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1095.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलमान्या, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1009, दिनांक 31 फरवरी, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलमान्या, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1009, दिनांक 31 फरवरी, 1995 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-I)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1096.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुडायथा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./714, दिनांक 16 नवम्बर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुडायथा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./714,

दिनांक 16 नवम्बर, 1987 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-J)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1013.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतोदन, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1105, दिनांक 03 सितम्बर, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतोदन, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1105, दिनांक 03 सितम्बर, 1996 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-K)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1098.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलापुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1077, दिनांक 16 मई, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पी. बरेलिया, व. स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलापुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1077, दिनांक 16 मई, 1996 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-L)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1099.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से सीप घाटी फल सागभाजी सहकारी

संस्था मर्या., इच्छापुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./975, दिनांक 17 जुलाई, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पी. बरेलिया, व. स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत सीप घाटी फल सागभाजी सहकारी संस्था मर्या., इच्छापुरा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./975, दिनांक 17 जुलाई, 1994 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-M)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1100.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रन्नोद, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./871, दिनांक 01 अप्रैल, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पी. बरेलिया, व. स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रन्नोद, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./871, दिनांक 01 अप्रैल, 1989 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-N)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1101.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढोढर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./948, दिनांक 19 अगस्त, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पी. बरेलिया, व. स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढोढर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./948, दिनांक 19 अगस्त, 1991 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-O)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1102.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लुहाड़, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./727, दिनांक 11 मार्च, 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लुहाड़, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./727, दिनांक 11 मार्च, 1988 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-P)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1103.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़ बगदिया, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1069, दिनांक 21 मार्च, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पी. बरेलिया, व. स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ बगदिया, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1069, दिनांक 21 मार्च, 1996 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-Q)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1104.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोंई कला, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./726, दिनांक 13 मार्च, 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पी. बरेलिया, व. स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोंई कला, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./726, दिनांक 13 मार्च, 1988 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-R)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1105.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मकड़ावदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./938, दिनांक 31 मार्च, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मकड़ावदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./938, दिनांक 31 मार्च, 1991 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-S)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1106.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नागदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./761, दिनांक 06 अप्रैल, 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पी. बरेलिया, व. स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न

करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नागदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./761, दिनांक 06 अप्रैल, 1988 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(375-T)

श्योपुर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1107.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राड़ेप, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./935, दिनांक 31 मार्च, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. आर. रेगर, स. नि., कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राड़ेप, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./935, दिनांक 31 मार्च, 1991 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. के. वर्मा,
सहायक पंजीयक.

(375-U)

कार्यालय उप आयुक्त , सहकारिता, जिला इंदौर

इंदौर, दिनांक 28 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/831.—हैल्थ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर, पंजीयन क्रमांक-डी. आर./आई. डी. आर./199, दिनांक 23 फरवरी, 1989 को आदेश क्रमांक-परिसमापन/411, दिनांक 23 जुलाई, 2003 से परिसमापन में लाया गया था. संशोधित आदेश क्रमांक-परि./252, दिनांक 24 जनवरी, 2013 से श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों की सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये, परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.

परिसमापक के आवेदन अनुसार उनके द्वारा बुलाई गयी आमसभा दिनांक 24 फरवरी, 2013 में उपस्थित सदस्यों ने अवगत कराया कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं. अत: सदस्यों के हित में संस्था का अस्तिव में बने रहना आवश्यक है. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत हैल्थ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रवीण मनुलाल, सदस्य श्री तपन कुमार एवं सदस्य कु. आशा गंगवाल की त्रिसदस्यीय कमेटी गठित करता हूँ. कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराकर निर्वाचित कार्यकारिणी का गठन करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(376)

इंदौर, दिनांक 18 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/1056.—नन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर, पंजीयन क्रमांक-डी. आर./आई. डी. आर./316, दिनांक 28 अगस्त, 1981 को परिसमापन आदेश क्रमांक/07/2171, दिनांक 06 अगस्त, 2007 से परिसमापन में लाया गया था. संशोधित परिसमापन आदेश क्रमांक/4380, दिनांक 26 अगस्त, 2010 से श्री रविकांत सांकल्ले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों की सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये, परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.

परिसमापक के आवेदन अनुसार उनके द्वारा बुलाई गयी आमसभा दिनांक 07 जनवरी, 2013 में उपस्थित सदस्यों ने अवगत कराया कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं. अत: सदस्यों के हित में संस्था का अस्तिव में बने रहना आवश्यक है. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत नन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये संस्था के हेमंत पिता रमेश चंद मित्तल, बर्हिगामी अध्यक्ष, पता -33, दलिया बाजार, इन्दौर एवं हरि पिता शिवप्रसाद अग्रवाल, पूर्व संचालक पता- कान्यकुब्ज नगर, इंदौर की द्विसदस्यीय कमेटी गठित करता हूँ. कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराकर निर्वाचित कार्यकारिणी का गठन करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(376-A)

इंदौर, दिनांक 28 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(1)(2)(3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/1156.—यह कि अनुसूची क्रमांक-1 के कॉलम-2 में वर्णित साख सहकारी संस्थाएं जिनका पंजीयन क्रमांक अनुसूची के कॉलम-3 में वर्णित है, का जिन प्रयोजनों के लिये पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं जिला इन्दौर द्वारा संस्था के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त करने के लिये प्रस्ताव प्रेषित किया गया.

प्रस्ताव में वर्णित कारण अनुसार संस्था को कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी क्रमांक/परिसमापन/2013/650, दिनांक 12 फरवरी, 2013 जारी किया जाकर उसका प्रत्युत्तर 30 दिवस में चाहा गया था.

अनुसूची क्रमांक-1

क्र. (1)	साख संस्थाओं के नाम (2)	पंजीयन क्र./दिनांक (3)
1.	गोल्डन लाईफ साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1956/06-09-1999
2.	इंदौर टेलीफोन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	830/05-08-1986

क्र. (1)	साख संस्थाओं के नाम (2)	पंजीयन क्र./दिनांक (3)
3.	इंदौर मध्यभारत साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	2102/19-02-2002
4.	इंदौर अभिभाषक साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1189/18-11-1993
5.	इंदौर संभागीय साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	265/20-08-1964
6.	इंदौर महिला परस्पर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1783/28-06-1996
7.	इंडियन मर्केंटाईल साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1876/20-01-1990
8.	इंदौर प्रेस क्लब साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1929/25-01-1999
9.	इंदौर कैडिट को-आपरेटिव्ह सोसायटी मर्यादित, इंदौर	1884/23-03-1998
10.	इंदौर मालवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	723/11-02-1936
11.	इंदौर आटो रिक्शा चालक साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1203/19-04-1994
12.	इंदौर सोशलग्रुप साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1066/04-05-1991
13.	इंदौर श्री साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1187/07-10-1999
14.	इंदु महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1848/16-07-1997
15.	जय बजरंग साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	2012/30-11-2000
16.	जनता पेढ़ी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1843/17-06-1997
17.	जय मालवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1735/26-08-1995
18.	जय माँ शारदा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1778/20-05-1996
19.	जनभारतीय साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	2085/31-05-2002
20.	जय माता दी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1773/27-03-1996
21.	ज्वाला देवी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	2022/22-01-2001
22.	जय शिव साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1966/15-12-1999
23.	जन आदर्श साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1761/19-01-1996
24.	जन सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर	639/24-03-1992
25.	जय दुर्गे आदि. साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1513/16-04-1964
26.	जय रणजीत साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	2073/10-04-2002
27.	जय माँ शक्ति साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	2134/14-01-2004
28.	कारसदेव साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1995/17-08-2000
29.	केबल आपरेटर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1889/24-04-1998
30.	क्राम्पटन ग्रीब्स कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1185/31-07-1993
31.	कचेर विकास साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	1915/11-09-1998

उपरोक्त अनुसूची में वर्णित संस्थाओं के किसी भी सदस्य द्वारा विधि अनुसार सूचित होने के बाद भी निर्धारित समयावधि में उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई संतोषप्रद प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे मुझे यह समाधान हो गया है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में वर्णित आरोप संस्था को मान्य हैं.

अतः मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है. संस्था का अस्तित्व में बना रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है.

अतः मैं, जगदीश कनोज, उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची-2 के कॉलम-2 में वर्णित संस्थाओं का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (ए/क)(1) के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (ए/क)(2) के अन्तर्गत अनुसूची-2 के कॉलम-2 में दर्ज संस्था के लिये कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा-18 (ए/क)(3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन का कार्यवाही करें.

अनुसूची क्रमांक-2

क्र. (1)	साख संस्थाओं के नाम (2)	अधिकारी का नाम एवं पद (3)
1.	गोल्डन लाईफ साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्रीमति ज्योति जोशी, सह. निरीक्षक
2.	इंदौर टेलीफोन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्रीमति ज्योति जोशी, सह. निरीक्षक
3.	इंदौर मध्यभारत साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्रीमति ज्योति जोशी, सह. निरीक्षक
4.	इंदौर अभिभाषक साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्रीमति ज्योति जोशी, सह. निरीक्षक
5.	इंदौर संभागीय साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्रीमति ज्योति जोशी, सह. निरीक्षक
6.	इंदौर महिला परस्पर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री सी. वी. पाण्डे, उप अंकेक्षक
7.	इंडियन मर्केंटाईल साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री सी. वी. पाण्डे, उप अंकेक्षक
8.	इंदौर प्रेस क्लब साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री सी. वी. पाण्डे, उप अंकेक्षक
9.	इंदौर कैडिट को-आपरेटिव्ह सोसायटी मर्यादित, इंदौर	श्री सी. वी. पाण्डे, उप अंकेक्षक
10.	इंदौर मालवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री सी. वी. पाण्डे, उप अंकेक्षक
11.	इंदौर आटो रिक्शा चालक साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री नरेन्द्र निर्मल, सह. निरीक्षक
12.	इंदौर सोशलग्रुप साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री नरेन्द्र निर्मल, सह. निरीक्षक
13.	इंदौर श्री साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री नरेन्द्र निर्मल, सह. निरीक्षक
14.	इंदु महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री नरेन्द्र निर्मल, सह. निरीक्षक
15.	जय बजरंग साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री नरेन्द्र निर्मल, सह. निरीक्षक
16.	जनता पेढ़ी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री एन. के. राठौर, सह. निरीक्षक
17.	जय मालवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री एन. के. राठौर, सह. निरीक्षक
18.	जय माँ शारदा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री एन. के. राठौर, सह. निरीक्षक
19.	जनभारतीय साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री एन. के. राठौर, सह. निरीक्षक
20.	जय माता दी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री एन. के. राठौर, सह. निरीक्षक
21.	ज्वाला देवी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जेड. ए. अंसारी, सह. निरीक्षक
22.	जय शिव साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जेड. ए. अंसारी, सह. निरीक्षक
23.	जन आदर्श साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जेड. ए. अंसारी, सह. निरीक्षक
24.	जन सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जेड. ए. अंसारी, सह. निरीक्षक
25.	जय दुर्गे आदि. साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जेड. ए. अंसारी, सह. निरीक्षक

क्र. (1)	साख संस्थाओं के नाम (2)	अधिकारी का नाम एवं पद (3)
26.	जय रणजीत साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जी. डी. परिहार, व. सह. निरीक्षक
27.	जय माँ शक्ति साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जी. डी. परिहार, व. सह. निरीक्षक
28.	कारसदेव साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जी. डी. परिहार, व. सह. निरीक्षक
29.	केबल आपरेटर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जी. डी. परिहार, व. सह. निरीक्षक
30.	क्राम्पटन ग्रीब्स कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जी. डी. परिहार, व. सह. निरीक्षक
31.	कचेर विकास साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	श्री जी. डी. परिहार, व. सह. निरीक्षक

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(376-B)

इंदौर, दिनांक 06 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(1)(2)(3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1221.—यह कि गौपुरम गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं मर्या., इंदौर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./आई. डी. आर./324, दिनांक 03 फरवरी, 1984 का जिन प्रयोजनों के लिये पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. निर्वाचन अधिकारी श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अकेक्षक द्वारा संस्था के प्रभारी अधिकारी से निर्वाचन कराने के लिये जानकारी चाही गयी तो प्रभारी अधिकारी ने निर्वाचन में असमर्थता व्यक्त करते हुए निर्वाचन अधिकारी को जानकारी दी की संस्था में कुल 09 सदस्य शेष हैं. निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्र से सूचित किया गया है कि संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

उपरोक्त वर्णित कारण से स्पस्ट है कि संस्था के अस्तित्व में बने रहने के लिये न्यूनतम सदस्य संख्या 20 का पालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का पालन करने में संस्था को कोई रूचि नहीं है.

अत: मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है. जिससे संस्था का अस्तित्व में बना रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गौपुरम गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं मर्या., इंदौर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./आई. डी. आर./324, दिनांक 03 फरवरी, 1984 का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (ए/क)(1) के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(2) के अन्तर्गत श्री के. एल. कोरी, सहकारी निरीक्षक, को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा-18 (ए/क)(3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन की कार्यवाही करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जगदीश कनोज,
उप-आयुक्त (सहकारिता).

(376-C)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, शिवपुरी

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	आदर्श उन्नत बीज प्रसंस्करण सहकारी संस्था मर्या., नरवर.	365/25-11-1995	707/02-08-2010	श्री पी. बंसल, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(377)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	संजय गांधी महिला बहुउद्देशयी सहकारी संस्था मर्या., हरसी केम्प नरवर.	460/07-11-2010	42/16-01-2012	श्री पी. बंसल, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(377-A)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बामौरकलां.	237/30-11-1988	707/02-08-2010	श्री रमेश चंद्र जैन, सह. विस्तार अधिकारी.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(377-B)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खांदी.	242/14-03-1989	580/13-07-2010	श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(377-C)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., इमलिया.	298/30-11-1994	1376/30-11-2011	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(377-D)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	जाटव सहकारी संस्था मर्या., पिछोर.	136/04-06-1956	584/13-07-2010	श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(377-E)

शिवपुरी, दिनांक 31 जनवरी, 2013

क्र./परि./2013/304.—स्टील उद्योग सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी पंजीयन क्र. 512, दिनांक 20 जून, 2005 के परिसमापक श्री पी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है. जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./40, दिनांक 16 जनवरी, 2012 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है. संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये निम्नांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है, नामांकित प्रबंध समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन हेतु कार्यवाही करवाएगी.—

1.	श्री दीपक अग्रवाल	अध्यक्ष
2.	श्री कपिल उपाध्याय	उपाध्यक्ष
3.	श्री राकेश पारस	सदस्य
4.	श्री अमित गोयल	सदस्य
5.	श्रीमती प्रेमा सिंह भदौरिया	सदस्य
6.	श्री पी. के. गुप्ता, सह. निरीक्षक	सदस्य

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(377-F)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्न संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	विद्युत मण्डल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	256/23-08-1990	2456/11-12-2012
2.	भारत तिब्बत सीमा पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	136/03-04-1981	2457/11-12-2012
3.	सुगम साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	330/23-05-1977	2458/11-12-2012

अत: उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 2 PM तक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

सुनील निम्बालकर,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(378)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, मोहखेड़, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप आयुक्त सहकारिता, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./उपछि/परि./2013/458, छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 मार्च, 2013 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	परिसमापन समिति का नाम	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	लावाघोघरी दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., लावाघोघरी पंजीयन क्रमांक 677/22-3-2006.	458/26-03-2013
2.	मछेरा दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., मछेरा पंजीयन क्रमांक 678/22-3-2006.	458/26-03-2013
3.	मोहगॉवनाराजी दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., मोहगॉवनाराजी पंजीयन क्रमांक 694/04-10-2007.	458/26-03-2013
4.	पटनिया दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., पटनिया पंजीयन क्रमांक 716/20-11-2009.	458/26-03-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में

साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

एम. एल. चौकसे,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(379)

कार्यालय परिसमापक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी, पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप आयुक्त सहकारिता, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./उपछि/परि./2013/458, छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 मार्च, 2013 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	परिसमापन समिति का नाम		परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2		3
1.	रैदास चर्म उद्योग सह. समिति मर्या., पांढुर्णा पंजीयन क्रमांक 676/13-3-2006.	. .	458/26-03-2013
2.	श्री गायत्री गृह निर्माण सह. समिति मर्या., पांढुर्णा पंजीयन क्रमांक 181/15-1-1988.	. .	458/26-03-2013
3.	हरिजन मत्स्योद्योग सह. समिति मर्या., चॉगोबा पंजीयन क्रमांक 449/21-09-1994.	. .	458/26-03-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. एस. दुबे,
परिसमापक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(380)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप आयुक्त सहकारिता, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./उपछि/परि./2013/458, छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 मार्च, 2013 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	परिसमापन समिति का नाम		परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2		3
1.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., उभेगॉव पंजीयन क्रमांक 506/10-5-1995.	..	458/26-03-2013
2.	महादेव खांडसारी उप. सह. समिति मर्या., छिन्दवाड़ा पंजीयन क्रमांक 548/26-3-1996.	..	458/26-03-2013
3.	पारवती महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., ढिमराढाना पंजीयन क्रमांक 668/18-11-2005.	..	458/26-03-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

एम. एल. चौकसे,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(381)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 30 मार्च, 2013

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सूर्याखेड़ा, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक/762, दिनांक 14 अगस्त, 1995 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./335/08, दिनांक 31 मई, 2007 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/159/परि./08, दिनांक 30 जनवरी, 2008 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री ए. के. ओझा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(382)

मन्दसौर, दिनांक 30 मार्च, 2013

नाकोड़ा शीतगृह सहकारी संस्था मर्या., गरोठ, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक/45, दिनांक 01 जून, 2000 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1392/08, दिनांक 17 सितम्बर, 2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/870/परि./12, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री व्ही. के. खेरिया, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

भारतसिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(382-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

क्र./उरन/2013/571.—निम्नलिखित सहकारी सोसायटियों को नियमित रूप से कार्य नहीं करने तथा वर्तमान में अकार्यशील हो जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सोसायटी को नियमानुसार परिसमापन में लाने के सम्बन्ध में 15 दिवस की समय सीमा में सोसायटी से उत्तर चाहा गया, निम्नांकित 07 सोसायटियों द्वारा दर्शित सूचना-पत्र प्राप्त करते हुये विहित समय सीमा तथा आज दिनांक तक भी कोई उत्तर नहीं दिया है. चूंकि उक्त सोसायटियों द्वारा पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है और जबलपुर दुग्ध सहकारी संघ मर्यादित के तमाम प्रयासों के बावजूद सोसायटियां अकार्यशील हो गई हैं ऐसी स्थिति में कारण बताओ सूचना-पत्र में वर्णित अनुसार निम्नांकित सोसायटियों का परिसमापन किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों के अनुसरण में निम्नांकित 07 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (दो) के अन्तर्गत आदेश जारी होने की दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ और इन सोसायटियों की आस्तियाँ, दायित्वों का विधिवत् निराकरण कर कामकाज समेटने के लिये क्षेत्रीय प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र संघ, नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-70 (1) के अधीन परिसमापक नियुक्त करता हूँ :—

क्रमांक	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी का नाम/पंजीयन क्रमांक	धारा-69(3) के तहत् जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रमपुरा (तेंदूखेड़ा) पंजीयन क्रमांक 523.	परिसमापन/276, दि. 19-03-2013
2.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पनारी, 538	परिसमापन/276, दि. 19-03-2013
3.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिलवानी, 537	परिसमापन/276, दि. 19-03-2013
4.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कामती (पिठहरा), 548	परिसमापन/276, दि. 19-03-2013
5.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिर्रिया, 542	परिसमापन/276, दि. 19-03-2013

(1)	(2)	(3)
6.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नांदनेर, 541	परिसमापन/276, दि. 19-03-2013
7.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिंगा (पिप.), 558	परिसमापन/276, दि. 19-03-2013

यह आदेश आज दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

डी. पी. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(383)

कार्यालय परिसमापक, संजय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

संजय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 123, दिनांक 30 नवम्बर, 1988 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2408, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(384)

कार्यालय परिसमापक, नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., मझेरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., मझेरा, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 468, दिनांक 18 जुलाई, 2002 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2428, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(384-A)

कार्यालय परिसमापक, बुनकर सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

बुनकर सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 360, दिनांक 14 अक्टूबर, 1956 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2423, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि

हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(384- B)

कार्यालय परिसमापक, आदिवासी सहकारी संस्था मर्या., मुड़खेड़ा, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मुड़खेड़ा, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 100, दिनांक 31 मार्च, 1954 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2437, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(384-C)

कार्यालय परिसमापक, भारत महिला साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

भारत महिला साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 509, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 3432, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

पी. बी. मुचरीकर,
परिसमापक.

(384-D)

कार्यालय परिसमापक, महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अर्जुनगवां, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अर्जुनगवां, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 429, दिनांक 04 सितम्बर, 1998 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 238, दिनांक 18 जनवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(385)

कार्यालय परिसमापक, श्रमिक वांस उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भटनावर, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्रमिक वांस उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भटनावर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 84, दिनांक 10 अक्टूबर, 1960 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 109, दिनांक 15 जनवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(385-A)

कार्यालय परिसमापक, महात्मा फुले प्राथमिक ईंधन सहकारी संस्था मर्या., वैराढ, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

महात्मा फुले प्राथ. ईंधन सहकारी संस्था मर्या., वैराढ, तहसील पोहरी जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 534, दिनांक 16 मार्च, 2007 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 111, दिनांक 15 जनवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(385- B)

कार्यालय परिसमापक, महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गुरिच्छा, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गुरिच्छा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 433, दिनांक 03 दिसम्बर, 1998 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 110, दिनांक 15 जनवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

व्ही. के. जैन,
परिसमापक.

(385-C)

कार्यालय परिसमापक, शिवपुरी साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

शिवपुरी साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 495, दिनांक 20 जुलाई, 2004 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 227, दिनांक 18 जनवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(386)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौका, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौका, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 175, दिनांक 31 मार्च, 1987 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2446, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(386-A)

कार्यालय परिसमापक, राठौर तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरवर, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

राठौर तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरवर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 23 अक्टूबर, 1960 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2411, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(386- B)

कार्यालय परिसमापक, आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सेंवढ़ा, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सेंवढ़ा, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 474, दिनांक 22 फरवरी, 2003 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 239, दिनांक 18 जनवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

पी. सी. गुप्ता,
परिसमापक.

(386-C)

कार्यालय परिसमापक, शीत गृह एवं वर्फ उद्योग सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

शीत गृह एवं वर्फ उद्योग सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 313, दिनांक 28 फरवरी, 1995 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 41, दिनांक 16 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(387)

कार्यालय परिसमापक, दुर्गा माँ रेडीमेड सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुर्गा माँ रेडीमेड सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 386, दिनांक 29 सितम्बर, 1992 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 45, दिनांक 16 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि

हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(386-A)

कार्यालय परिसमापक, गांधी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्री गांधी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 607, दिनांक 18 सितम्बर, 1966 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 43, दिनांक 16 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(387- B)

कार्यालय परिसमापक, नवीन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

नवीन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 331, दिनांक 31 मार्च, 1978 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 44, दिनांक 16 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

पी. के. गुप्ता,
परिसमापक.

(387-C)

कार्यालय परिसमापक, आदर्श महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., भदेरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

आदर्श महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., भदेरा, जिला शिवपुरी, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 173, दिनांक 24 मार्च, 1956 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 243, दिनांक 23 अप्रैल, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(388)

कार्यालय परिसमापक, अनु. जाति मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., माधौनगर, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

अनु. जाति मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., माधौनगर, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 284, दिनांक 23 अगस्त, 1984 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2409, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

उमेश पाठक,
परिसमापक.

(388-A)

कार्यालय परिसमापक, महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भदेरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 16 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भदेरा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 438, दिनांक 11 फरवरी, 1999 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2439, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 16 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

रमेश जैन,
परिसमापक.

(389)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2013-श्रावण 18, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेधाच्छादित रहा है तथा राज्य के कुछ ही जिलों में वर्षा का होना पाया गया है:-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील ईसागढ़ (अशोकनगर), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), अनूपपुर (अनूपपुर), गोपदवनास, सिहावल, मझौली (सीधी), सुबासराटप्पा, मंदसौर (मंदसौर), जीरापुर, खिलचीपुर (राजगढ़), बासौदा, विदिशा (विदिशा), हुजूर (भोपाल), पाटन, जबलपुर (जबलपुर), नारायणगंज, मण्डला (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील जैतहरी, कोतमा (अनूपपुर), कुसमी (सीधी), बैतूल (बैतूल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील बिजावर (छतरपुर), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला भोपाल में जुताई व बैतूल में गन्ना की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला पन्ना, खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला बैतूल में फसल गेहूँ व कटनी में गेहूँ व अन्य रबी फसल एवं हरदा में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, उमरिया, राजगढ़, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) गेहूँ, चना, ज्वार,बाजरा, मक्का, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन					
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द अधिक. मूँगफली, तिली, मूँगमोठ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, गन्ना सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) चना, गेहूँ, उड़द, मक्का, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	9.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का समान.	6. . .	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	5.0				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	42.0				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		जौ, राई-सरसों, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		मटर, मसूर, आलू, प्याज अधिक.		
4. पवई	. .		(2) . .		
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ,राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		प्याज समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, चना, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		मसूर, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	23.2		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. . .	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	16.0		(2) . .		
3. कोतमा	19.0				
4. पुष्पराजगढ़	36.2				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	4.0		4. (1) गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	7.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	6.0				
4. कुसमी	20.0				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	16.3		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	16.0				
6. सीतामऊ	. .				
7. संजीत	. .				
8. —	. .				
9. शामगढ़	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
***जिला उज्जैन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		मसूर, जौ अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, टमाटर, मिर्च अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		राई-सरसों, मटर, मसूर, समान.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला पूर्व निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	13.0		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	14.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	5.3				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	2.4				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. मसूर, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	8.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सरसों, अलसी, गन्ना.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना की रोपाई व गेहूँ,	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .	की कटाई कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	2.20				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, मूँगमोठ अधिक. चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	2.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	0.2				
4. मझौली	. .				
4. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ एवं रबी फसलों की	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	कटाई कार्य चालू है.	4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		जौ, मटर.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) . .		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	4.4				
5. नारायणगंज	2.2				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. रबी मौसम मटर, मसूर,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .	अलसी, चना एवं गेहूँ की	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .	कटाई कार्य चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		सरसों, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला गुना, सतना, शहडोल, रमलाम, उज्जैन, बडवानी, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(391)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.